आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/छात्रवृति/2018–19/356 दिनांकः 12.7.18

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी
राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय :– ऑनलाईन छात्रवृति हेतु महाविद्यालय में संचालित कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन एवं अनुमोदन http://scholarship.rajasthan.gov.in पोर्टल पर करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा दी जाने वाली छात्रवृतियों के ऑनलाइन आवेदन हेतु http://scholarship.rajasthan.gov.in पोर्टल पर निम्नानुसार शीघ्र कार्यवाही कर सूचित करावें जिससे की विद्यार्थियों को छात्रवृति के आवदेन ऑनलाईन भरते समय कोई व्यवधान नहीं हों।

1. जिन महाविद्यालयों ने सत्र 2017–18 में अपने महाविद्यालय में संचालित कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वह इस सत्र 2018–19 में आवश्यक रूप से रजिस्ट्रेशन एवं कोर्स मैपिंग करावें। इसके अभाव में ऑनलाईन छात्रवृति आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
2. इस वर्ष नवीन प्रारम्भ राजकीय/निजी महाविद्यालय अपने महाविद्यालय का रजिस्ट्रेशन एवं संचालित कोर्सेज का मैपिंग आवश्यक रूप से करावें।
3. अपने महाविद्यालयों में संचालित कोर्सज की सत्र 2018–19 के लिए कोर्स मैपिंग करावें।
4. वर्तमान में महाविद्यालय में संचालित नये कोर्सेज का संबंधित विश्वविद्यालय से आवश्यक रूप से अनुमोदन (Approved) करावें तदुपरान्त ही विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा।

उपयुर्क्त कार्यवाही में विलम्ब किया जाता है तो इसका उतरदायित्व संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का होगा।

(आशुतोष ए.टी.पेडणेकर)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा एवं शासन सचिव,
उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/छात्रवृति/2018–19/357-359 दिनांक 12.7.18

प्रतिलिपि :–

1. समस्त रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय, राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान, जयपुर
3. प्रभारी वेबसाईट को अपलोड हेतु।

वित्तीय सलाहकार

D:/ Shortcut For Some Folders/ Online Schlorship/